

02.09.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का वादपत्र अदम हाजरी मे खारिज हो
गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण
प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह
जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण
प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

